CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

36. Matters not subject to jurisdiction of the Commission

- (1) The Commission shall not inquire into any matter which is pending before a State Commission or any other Commission duly constituted under any law for the time being in force.
- (2) The Commission or the State Commission shall not inquire into any matter after the expiry of one year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed.

37. Constitution of special investigation teams

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where the Government considers it necessary so to do, it may constitute one or more special investigation teams, consisting of such police officers as it thinks necessary for purposes of investigation and prosecution of offences arising out of violations of human rights.

38. Protection of action taken in good faith

No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government, State Government, Commission, the State Commission or any Member thereof or any person acting under the direction either of the Central Government, State Government, Commission or the State Commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules or any order made thereunder or in respect of the publication by or under the authority of the Central Government, State Government, Commission or the State Commission of any report paper or proceedings.

39. Members and officers to be public servants

Every Member of the Commission, State Commission and every officer appointed or authorised by the Commission or the State Commission

अध्याय VIII

विविध

36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय

- (1) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है।
- (2) आयोग या राज्य आयोग उस तारीख, जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन संस्थापित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है, से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा।

37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुसिल अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के उल्लंघनों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है।

38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशियत किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज—पत्र, या कार्यवही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना

आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत to exercise functions under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

40. Power of Central Government to make rules

- (1) The Central Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters namely:-
 - (a) the salaries and allowances and other terms and conditions of service of the ¹[Chairperson and Members] under section 8;
 - (b) the conditions subject to which other administrative, technical and scientific staff may be appointed by the Commission and the salaries and allowances of officers and other staff under subsection (3) of section 11;
 - (c) any other power of a civil court required to be prescribed under clause (f) of sub-section (1) of section 13;
 - (d) the form in which the annual statement of accounts is to be prepared by the Commission under sub-section (1) of section 34; and
 - (e) any other matter which has to be, or may be, prescribed.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

¹ Subs. by Act 43 of 2006, s.17, for "Member" (w.e.f. 23.11.2006)

प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

40. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

- (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:—
 - (क) धारा 8 के अधीन [अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भक्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तै:
 - (ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृन्द आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्ते;
 - (ग) सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है;
 - (घ) वह प्ररूप, जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं; और
 - (ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

¹ 2006 के अ.सं. 43 की घारा 17 द्वारा "सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रमावी)।

1[40A. Power to make rules retrospectively — The power to make rules under clause (b) of sub-section (2) of section 40 shall include the power to make such rules or any of them retrospectively from a date not earlier than the date on which this Act received the assent of the President, but no such retrospective effect shall be given to any such rule so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such rule may be applicable.]

²[40B. Power of Commission to make Regulations

- (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Commission may, with the previous approval of the Central Government, by notification, make regulations to carry out the provisions of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the procedure to be followed by the Commission under subsection(2) of Section 10:
 - (b) the returns and statistics to be furnished by the State Commission:
 - (c) any other matter which has to be, or may be, specified by regulations.
- (3) Every regulation made by the Commission under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the regulations or both Houses agree that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation.]

Inserted by Act 49 of 2000, s.2, (w.e.f. 11.12.2000)

1[40क. पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने की शक्ति—धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या उनमें से किसी नियम को पूर्वव्यापी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी, जो उस तारीख से पूर्वतर न हो जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपित की अनुमित प्राप्त होती है, किन्तु किसी ऐसे नियम को ऐसा कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकता हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।]

²[40ख. आयोग की विनियम बनाने की शक्ति

- (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधिनी रहते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्ः—
 - (क) धारा 10 उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;
 - (ख) राज्य आयोगों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां और आंकड़े;
 - (ग) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए।
- (3) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोंक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

^{1 2000} के अ.सं. 49 की घारा 2 द्वारा अंतःस्थापित (दिनांक 11.12.2000 से प्रमावी)।

^{2 2006} के अ.सं. 43 की घारा 18 द्वारा अंतः स्थापित (दिनांक 23.11.2006 से प्रमावी)।

41. Power of State Government to make rules

- (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:
 - (a) the salaries and allowances and other terms and conditions of service of the ¹[Chairperson and Members] under section 26;
 - (b) the conditions subject to which other administrative, technical and scientific staff may be appointed by the State Commission and the salaries and allowances of officers and other staff under sub-section (3) of section 27;
 - (c) the form in which the annual statement of accounts is to be prepared under sub-section (1) of section 35.
- (3) Every rule made by the State Government under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature where it consists of two Houses, or where such Legislature consists of one House, before that House.

42. Power to remove difficulties

(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government, may by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each house of Parliament.

¹ Subs. by Act 43 of 2006, s.19, for "the Members" (w.e.f. 23.11.2006)

41. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

- (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—
 - (क) धारा 26 के अधीन ¹[अध्यक्ष और सदस्यों] के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते;
 - (ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारीवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन और भत्ते;
 - (ग) वह प्रपन्न, जिसमें धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं।
- (3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान—मंडल के दो सदन है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान—मंडल का एक सदन हैं वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

^{1 2006} के अ.सं. ४३ की घारा १९ द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक २३.11.2006 से प्रभावी)।

43. Repeal and Savings

- (1) The Protection of Human Rights Ordinance, 1993 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

43. निरसन और व्यावृत्ति

- (1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।



National Human Rights Commission राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

Manav Adhikar Bhawan, C-Block, GPO Complex मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स INA, New Delhi - 110 023 आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

Website : www.nhrc.nic.in वेबसाइट : www.nhrc.nic.in